



जालौन पुलिस



« Operation Conviction »

धोखाधड़ी व गबन के अभियोग में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित।



« श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये »

जा रहे अभियान **“OPERATION CONVICTION”** के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारम्भ की गई **पैरवी अधिकारी स्कीम** के अन्तर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप म0 न्यायालय (जे.एम. जालौन) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।



थाना जालौन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 607/2020 धारा 420,467,468,471,406,504,506 भादवि के अभियुक्त समर्थ



सिंह सिंह उर्फ रिकू गौर पुत्र जगदीश नि0 जखबा थाना सिरसाकलार जनपद जालौन को माननीय न्यायालय जनपद जालौन द्वारा **03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**



श्री सोमवीर सिंह
APO



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 इन्द्रभान सिंह
कोर्ट मुहर्रिर



म0का0 रेनू चौहान
पैरोकार



@jalaunpolice